न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्,औरंगाबाद।
सत्रवाद संख्या–08/1993/178/22
नागा दुसाध बनाम् बिहार राज्य
देव (ढिबरा) थाना काण्ड संख्या–24/93
सी0आई0एस0सं0:–143/2022

17.11.2022 आवेदक अभियुक्त नागा दुसाध उर्फ गुदर दसाध पे0 स्व0 चन्द्रदेव दुसाध की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में दिनांक 20.09.2022 को दाखिल जमानत आवेदन को आज संचालित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया जो देव (ढिबरा) थाना काण्ड संख्या 24/93 अंतर्गत धारा 302,307,324,379,120(बी)/34 भा0दं0वि0 तथा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित है।

विद्वान विधिज्ञ आवेदक अपना जमानत आवेदन को संचालित करते हुये कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त का बंध पत्र दिनांक 25.04.2022 को उचित पैरवी के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा विखंडित किया गया है। आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था और जान बूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदक अभिुक्त के विरूद्व अन्य वाद वजीरगंज थाना काण्ड संख्या 18/98 और गोह थाना काण्ड संख्या 115/97 दर्ज है अन्य वाद दर्ज होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व अजमानतीय अधिपत्र दिनांक 26.04.2022 को तथा धारा 82/83 दं0प्र0सं0 का प्रोसेस दिनांक 09.05.22 को निर्गत किया गया है। आवेदक अभियुक्त गोह थाना काण्ड संख्या 115/97 संदर्भित सत्रवाद संख्या 125/02,विचारण संख्या 57/20 में दिनांक 21.09.2020 से 06.05.2022 तक कारा में निरूद्व रहा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अमरेन्द्र कुमार सिंह का मृत्यु वर्ष 2019 में हो जाने के कारण आवेदक अभियुक्त को इस वाद में रिमाण्ड किये जाने के बारे में उचित जानकारी नहीं हुआ था। अधिवक्ता लिपिक के द्वारा कोरोना अवधि में उचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण बंध पत्र विखंडित हो गया है। आवेदक अभियुक्त शपथ देने को तैयार है कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगा। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.04.2022 को सदेह न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिसके कारण बंध पत्र खंडित हो गया था। अतः जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे परन्तु न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं रहने के कारण दिनांक 25.04.2022 को बंध पत्र विखंडित हो गया था। कोरोना अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त नागा दुसाध उर्फ गुदर दसाध को इस निर्देश के साथ कि विचारण में सहयोग करने और न्यायालय में सदेह उपस्थित रहने पर मो0 दस हजार रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

दिनांकः–17/11/2022

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।

पश्चात्

17.11.2022 आवेदक अभियुक्त नागा दुसाध उर्फ गुदर दसाध की ओर से दस हजार के दो प्रतिभु का बंध पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर..... किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।